रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2013/फाल्गुन 15, 1934
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2013/PHALGUNA 15, 1934

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2013

सं बी-12015/33(11)/समन्वयन/2007.—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), की धारा 12 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम, 2013 बनाता है, अर्थात

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (डाटा प्रोसेसिंग सहायक की भर्ती की पद्धति, सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. **परिभाषाएं:-** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''बोर्ड'' से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''सदस्य सचिव'' से बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

931 GI/2013

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और पदों से संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त नियमों में संबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएं आदि- भर्ती को पद्धति, आयु सीमाएं, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (12) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भत्ते, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें:- वे अधिकारी और सेवक जो केंद्रीय सरकार के अधीन डाटा प्रोसेसिंग सहायक का पद धारण कर रहे हैं, को तत्समय लागू नियम और आदेश, डाटा प्रोसेसिंग सहायक के भत्ते, छुट्टी पद ग्रहण, पदग्रहण वेतन, भविष्य निधि उपदान अधिवर्षिता की आयु, सेवा निवृत्ति के फायदे, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत, सेवाओं की शर्तें विनियमित करेंगें।

6. **नियुक्ति प्राधिकारी:-** (1) डाटा प्रोसेसिंग सहायक के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष होंगे।

7. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, आदेश द्वारा इन विनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगा।

8. **व्यावृत्ति:-** इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

9. **वे विषय, जिनकी बाबत कोई उपबंध नहीं किये गये हैं:-** डाटा प्रोसेसिंग सहायक की सेवा की शर्तों से संबंधित वे विषय, जिनकी बाबत इन विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं किए गए हैं, केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डाटा प्रोसेसिंग सहायक	04* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	वे.बैं.-2;(₹9300-34800) और ग्रेड वेतन ₹4200/-	चयन पद

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(6)	(7)
30 वर्ष तक से अनधिक	अनिवार्य: कम्प्यूटर अनुप्रयोग में बेचलर डिग्री या कम्प्यूटर अनुप्रयोग व क्षमता प्रशिक्षण में डिप्लोमा के साथ किसी भी विषय में स्नातक और बोर्ड द्वारा यथविहित क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन हो। वांछनीय: लेखा संबंधी मामलों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग के इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रासेसिंग/प्रोग्रामिंग का अनुभव।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता और अनुभव: हां	2 वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा

<table>
<tr><th>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ अमेलन किया जायेगा।</th><th>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति विद्यमान है तो उनका संयोजन</th></tr>
<tr><td>(11)</td><td>(12)</td></tr>
<tr><td>प्रोन्नति:
ऐसा आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड-1, जिन्होंने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वेतनमान 5200-20200/- और ग्रेड वेतन 2800/- रूपये में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है। प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आगे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी मं प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो।</td><td>सीधी भर्ती के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : -
<table>
<tr><td>अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 2 विशेषज्ञ</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>निदेशक, या उपसचिव, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थापन से संबद्ध)</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-
<table>
<tr><td>अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

टिप्पण-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिनको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारितकी गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	निदेशक या उपसचिव, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थापन से संबंद्ध)	सदस्य
	बोर्ड के दो सदस्य, जो अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाऐगें	सदस्य
	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञा. III/4/असा./184/12]

CENTRAL POLLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2013

No. B-12015/33(11)/Co-ord./2007.— In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Pollution Control Board, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations , namely:–

1. Short titles and commencement.– (1) These regulations may be called the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Data Processing Assistant) Regulations, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–In these regulations, unless the context otherwise requires,–

   (a) "Board" means the Central Pollution Control Board established under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

   (b) "Chairman" means the Chairman of the Board;

   (c) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Board.

3. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.– The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

5. The allowances, leave and other conditions of service.– The rules and orders for the time being in force applicable to the officers and servants, holding the post of Data Processing Assistant under the Central Government, shall regulate the condition of services in respect of allowance, leave, joining time, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of services of the Data Processing Assistant of the Board.

6. Appointing Authority.– The Chairman shall be the appointing authority for the post of Data Processing Assistant.

7. Power to relax.– Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Central Government, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any other provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving.– Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other backward classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Matters with respect to which no provision has been made.– Matters relating to the conditions of service of Data Processing Assistant with respect to which no provision has been made in these regulations, shall be referred to the Central Government for its decision.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection Post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Processing Assistant.	04* (2013) *Subject to variation depending upon the workload.	Not-applicable	Pay Band – 2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years.	Essential: Bachelors Degree in Computer Application or Degree in any other discipline with Diploma in	Age: No. Educational qualifications and

931 GI/13-2

	Computer Application and subject to passing an aptitude test as prescribed by the Board. Desirable: Experience in electronic data processing or programming of computer application in accounts matters.	experience: Yes.

Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years.	50% by promotion; failing which by direct recruitment 50% by direct recruitment.
In case of recruitment by promotion or deputation/absorption , grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Department Promotion/Selection Committee exist, what is its composition.–

(11)	(12)
Data Entry Operator Grade-I with six years' service in grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -1 of Rs. 5200-20,200/- with grade pay of Rs. 2800/- in the Central Pollution Control Board Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale	Selection Committee for direct recruits consisting of:- Chairman, Central Pollution Control Board — Chairman Two Experts to be nominated by the Chairman — Member Director or Deputy Secretary (dealing with the Establishment of Central Pollution Control Board in the Ministry of Environment and Forests) — Member Member Secretary, Central Pollution Control Board — Member Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation consisting of :- Chairman, Central Pollution Control Board — Chairman Director or Deputy Secretary (dealing with the Establishment of Central Pollution Control Board in the Ministry of Environment and Forests) — Member

extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.	Two Members of the Board to be nominated by the Chairman, Central Pollution Control Board — Member Member Secretary, Central Pollution Control Board — Member

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./184/12]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.